



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Title: परिपत्र

Reference No.: IRDAI/INT/Cir/Misc/ 118/05/2020

Date: 13/05/2020

सभी बीमा मध्यवर्तियों को तिमाही विवरण- तिमाही 4-2019-20 - विनियामक विवरणियाँ फाइल करने के लिए दी गयी अतिरिक्त समय की अनुमति

संदर्भ सं.:आईआरडीएआई/आईएनटी/सीआईआर/विविध/118/05/2020 दिनांक: 13-05-2020

Ref. No:IRDAI/INT/Cir/Misc/118/05/2020 Date:13-05-2020

परिपत्र

Circular

प्रति / To,

सभी बीमा मध्यवर्ती / All Insurance Intermediaries,

विषय: सभी बीमा मध्यवर्तियों को तिमाही विवरण- तिमाही **4-2019-20** - विनियामक विवरणियाँ फाइल करने के लिए दी गयी अतिरिक्त समय की अनुमति

Re: Additional time allowed for filing Quarterly Return – Q4-2019-20 - Regulatory Returns to all insurance intermediaries

23 मार्च, 2020 के हमारे पहले संप्रेषण के माध्यम से, बीमा मध्यवर्तियों को 31.3.2020 को समाप्त तिमाही के लिए तिमाही विवरणियों को दाखिल करने के लिए एक महीने के अतिरिक्त समय का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी। कोविड-19 के कारण लॉक-डाउन के 17 मई, 2020 तक जारी रहने को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने बीमा मध्यवर्तियों को अपनी तिमाही विवरणियों को दाखिल करने के लिए 31 मई, 2020 तक का समय देने की अनुमति दी है।

Through our earlier communication of 23rd March, 2020, Insurance Intermediaries were permitted to avail of additional time of one month to file the quarterly returns for the quarter ending 31.3.2020. In view of the lock-down due to COVID-19 continuing till 17th May, 2020, the Authority hereby allows further time till 31st May, 2020 for the insurance intermediaries to file their quarterly returns.

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ जारी किया गया है।

This is issued with the approval of the Competent Authority.

(टी. एल. अलमेलू / T.L. Alamelu)

सदस्य वितरण) / Member (Distribution)